3962 / 6.8.13 vide 3071 / 6.7.13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

वाद संख्या–21 / 2013–14

सुरेन्द्र सिंह वगैरह बनाम भोला खतवे वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद की कार्रवाई आवेदकगण (1) सुरेन्द्र सिंह (2) विरेन्द्र सिंह दोनों पिता–स्व0 पदुमलाल सिंह एवं (3) मो0– कामनी देवी पति–स्व0 शिवेन्द्र सिंह, ग्राम–नजरा पो0–नजरा महमदा, थाना+अंचल– मनीगाछी के द्वारा दाखिल वाद पत्र के आलोक में दिनांक–04.04.2013 को प्रारंभ की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) भोला खतवे पे0–स्व0 महावीर खतवे (2) शिवजी खतवे पे0–स्व0 फगुनी खतवे (3) रामा खतवे (4) ठक्कन खतवे दोनों पे0–स्व0 हनुमान खतवे (5) आनंद खतवे (6) ज्ञानी खतवे दोनों पे0–स्व0 जीवछ खतवे (7) सुरत खतवे पे0–स्व0 बाबुलाल खतवे (8) इन्दर खतवे पे0–स्व0 महेन्द्र खतवे (9) सीयाराम खतवे पे0–स्व0 झोली खतवे (10) रामविलास खतवे पे0–स्व0 लखन खतवे (11) खुशीलाल खतवे पे0–स्व0 गोपाल खतवे (12) रामा खतवे पे0–स्व0 जनक खतवे (13) बहादुर खतवे पे0–स्व0 कमलु खतवे एवं (14) उचित खतवे पे0–स्व0 महावीर खतवे, सभी ग्राम–मौजा– राजे टोले फकिरना, थाना– मनीगाछी जिला– दरभंगा के निवासी है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा–राजे टोले फकिरना थाना–मनीगाछी में अवस्थित निम्न व्योरे की भूमि है:– **खाता** / **खेसरा** / **रकवा** / **चौहद्दी** 804 पुराना / 1591 / 01–00–00 / उत्तर– बांध; द0– सियालाल मंडल; पू0– सदकारी सिंह वगैरह; प0– सड़क एंव मुनीलाल मंडल 804 / 1591 / 01–00–00 / उत्तर– सीयालाल मंडल वो रूपलाल खतवे वो सियाराम ठाकुर; द0– बच्चे लाल मंडल; पू0– दाहु वो सीताराम खतवे; प0– बांध आवेदकों की ओर से वाद पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रैकिंग मशिन सं0–3355 दिनांक–04.04.2013 द्वारा जमा कर दाखिल किया गया जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि करते हुए विपक्षीयों को उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु	

11/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	दिनांक 16.04.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। विपक्षीगण कार्रवाई में भाग लेकर अपनी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल किए जिस पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है। आवेदकों के द्वारा वाद पत्र के माध्यम से दावा किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बजरिये रजिस्ट्री केवाला बाबु लक्ष्मण ठाकुर पे0– स्व0 सरयुग ठाकुर वो शिव शंकर ठाकुर पे0–स्व0 चतरभुज ठाकुर वो अंजनी कुमार ठाकुर पे0–स्व0 गौरीशंकर ठाकुर मौजे राजे फकिरना से दिनांक– 22.09.1986 से एक बीघा वो बाबु लक्ष्मण ठाकुर से दिनांक– 24.02.1987 के रजिस्ट्री केवाला से एक बीघा आवेदकों को प्राप्त है जिसपर केवाला की तिथि से आवेदकगण का दखल कब्जा चला आया। आवेदक का यह भी कहना है कि पूर्व में विपक्षीयों ने प्रश्नगत भूमि पर दखल करने की नियत से झोंपड़ी खड़ा कर दिया जिसको लेकर पूर्व में विपक्षीयों के साथ हकियत का मुकदमा चला था जिसका हकियत वाद सं0– 33/98 है जो मुंसिफ, द्वितीय, दरभंगा के न्यायालय से दिनांक– 29.04.2003 को आवेदकगण के पक्ष में फैसला हुआ। इस प्रकार आवेदकों का कहना है कि प्रश्नगत जमीन से विपक्षीयों को कोई हक या संबंध कभी नहीं रहा वो न है। आवेदकों का आरोप है कि विपक्षीगण आवेदकों को कमजोर समझकर उनकी जमीन को हड़पना चाहते है, आवेदकों ने विपक्षीयों को जमीन खाली करने के लिए काफी गुजारिश किया वो विपक्षीयों के इन्कारी से आवेदकों को न्यायालय में केश दायर करना पड़ा। आवेदकों ने प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कराकर अपने को कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने अपने दावे के समर्थन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में केवाला दिनांक–22.09.1986 एंव 25.02.1987 बनाम खुद आवेदकगण तथा हकियत वाद सं0–33/1998 के आदेश दिनांक–29.04.2003 की अभिप्रमाणित प्रति की छाया प्रति दाखिल किया है। विपक्षीयों की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के निश्वत पूर्व में इनलोगों के द्वारा बटाईदारी वाद सं0–3/97–98 दायर किया गया था जिसमे दिनांक–01.09.1998 को विपक्षीयों के पक्ष में फैसला हो चुका है तथा वह आदेश अभी तक बरकरार है, अतएव इस वाद अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा माँग की गई अनुतोष सर्वथा देने योग्य नहीं होना बताया गया है। विपक्षीयों का कहना है कि आवेदक द्वारा स्वंय कहा गया है कि विपक्षी का घर विवादास्पद भूमि पर पूर्व से निर्मित है जो सच है तथा विपक्षीगण भूमिहीन है जिनका घर विवादित भूमि पर अवस्थित है जो पूर्व मालिक के द्वारा बसाये गये थे तथा तब से अब तक विपक्षीगण	

11/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अपने बाल बच्चों के साथ घर बनाकर रह रहे है। विपक्षीयों का कहना है कि आवेदकों ने इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के अनुतोष की माँग किया है जो खारिज के योग्य है तथा यह मुकदमा कालवाधित, प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध दायर किया गया है जिसे दायर करने का कोई अधिकार आवेदकों को नहीं है। विपक्षीयों की ओर से बटाई वाद सं0– 03/97–98 में पारित आदेश दिनांक– 01.09.1998 के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति दाखिल करते हुए आवेदकों के वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे–प्रतिदावे का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओ के तार्किक बहस को सुना। विदित होता है कि विपक्षीयो सहित अन्य को प्रश्नगत खेसरा सहित अन्य खेसरा से कुल 09 कट्ठा 03 धुर भूमि पर बी0 टी0 एक्ट की धारा 48 ई0 के प्रावधानों के अन्तर्गत बटाईदार दिनांक–01.09.1998 के आदेशानुसार घोषित किया गया है परन्तु आदेश के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि आदेश एकपक्षीय पारित किया था जिसमें भू–धारी की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, चूँकि सूचना के उपरान्त भी भू–धारी उक्त वाद अन्तर्गत उपस्थित नहीं हुए थे। उक्त वाद अन्तर्गत भू–धारी हरिनारायण ठाकुर पे0–बद्रीनारायण ठाकुर वो भिखारी ठाकुर पे0 बद्रीनारायण ठाकुर ग्राम बसुआरा थें। बटाईदार घोषित किए जानेवाली भूमि का चौहद्दी आदेश फलक से स्पष्ट नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों में स्वत्व वाद सं0–33/98 में माननीय मुंसिफ, द्वितीय, दरभंगा के आदेश दिनांक–29.04.2013 के परिशीलन से स्पष्ट विदित होता है कि इस वाद के आवेदकगण के द्वारा इस वाद की प्रश्नगत भूमि के निमित इस वाद के तमाम विपक्षीयों के खिलाफ स्वत्व के निर्धारण हेतु वाद दाखिल किया गया था जिसमें माननीय मुंसिफ के द्वारा आवेदकों के पक्ष में खरीदगी प्रश्नगत भूमि पर हकियत पाते हुए न्याय निर्णीत किया गया तथा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों को हमेशा के लिए जाने से प्रतिबंधित करने की कृपा की गई है, परन्तु आवेदक के वाद पत्र एंव विपक्षीयों के दावे से स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के अन्दर विपक्षीयों का घर है, चूँकि स्वंय आवेदक ने अपने वाद पत्र में कहा है कि प्रश्नगत भूमि पर दखल की नियत से विपक्षीयों ने झोंपड़ी खड़ा कर दिया जिसे लेकर विपक्षी से पूर्व में हकियत का मुकदमा चला जिसमे दिनांक– 29.04.2003 को फैसला हुआ, आवेदकों ने विपक्षी को जमीन खाली करने की काफी गुजारिश किया लेकिन विपक्षी इन्कार कर गये। इस प्रकार इस वाद में गौरतलब है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों के हकियत की घोषणा माननीय मुंसिफ न्यायालय से हो चुकी है। अतएव आवेदक को प्रश्नगत भूमि विपक्षीयों के कब्जा से मुक्त कराने के निमित इजराय वाद दायर करना चाहिए था, न कि प्रस्तुत वाद। क्योंकि सक्षम न्यायालय के आदेश का	

11/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	क्रियान्वयन दिवानी न्यायालय अन्तर्गत इजराय वाद के तहत ही होना समिचीन होगा। अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त आवेदक को इस वाद अन्तर्गत किए गए अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने Grievance के लिए हकियत वाद के निर्णय के आलोक में इजराय वाद अन्तर्गत अनुतोष की याचना करें। इसी आदेश के साथ प्रस्तुत वाद निष्पादित किया जाता है। अभिलेख संचिकास्त करें। लेखापित एव शुद्धित 11/09/13 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा। 11/09/13 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	